

खबर-ख़ास

लोक शांति की सुरक्षा के लिए आग्नेय अस्त्र शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिन के भीतर जमा करने आदेश जारी

गरियाबंद (समय दर्शन)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक कुमार अग्रवाल ने नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान लोक शांति की सुरक्षा के लिए लायसेंसियों से आग्नेय अस्त्र शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिन के भीतर जमा करने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा अस्त्र शस्त्र का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। अतः आग्नेय अस्त्र शस्त्र 1959 के तहत गरियाबंद जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियों को अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिवस के अंदर जमा कराने आदेशित किया गया है। इसके अतिरिक्त लायसेंसों अपने शस्त्र डीलर जिनके पास शस्त्र डिपॉजिट करने अनुज्ञप्त है, वहां भी जमा कर सकते हैं, जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने में एवं दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश जिले में निवासरत सभी लायसेंसों तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसों पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसों आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड-वितीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, सैवधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। ऐसे अनुज्ञप्त व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिये शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्टर गरियाबंद के कक्षा क्रमांक 18 लाइसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। इस आदेश से वे सभी अनुज्ञप्तधारी जिन्हें मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी, तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि 20 जनवरी 2025 से नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया को समाप्त तक के लिए, गरियाबंद जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए जाते हैं। संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंट्राज करोंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अधिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।

जिले में सरसों तेल की गुणवत्ता की जांच के लिए नमूना भेजा



कवर्धा (समय दर्शन)। जांच के दौरान कन्हैया प्रोविजन एवं जनरल स्टोर्स, फर्चुन भवानी ट्रेडर्स और अग्रवाल किराना, उडियाखुर्द से सरसों तेल के तीन नमूने संकलित कर जांच के लिए रायपुर भेजा गया है। निरंतर खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार तथा अभिहित अधिकारी के मार्गदर्शन में जिला कबीरधाम में सरसों तेल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार नेले और खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश कुमार साहू ने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कन्हैया प्रोविजन एवं जनरल स्टोर्स, फर्चुन भवानी ट्रेडर्स और अग्रवाल किराना, उडियाखुर्द से सरसों तेल के तीन नमूने संकलित किए गए। इन नमूनों को गुणवत्ता जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया है। यह कदम सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि आम जनता को अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल प्राप्त हो। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्रतिष्ठानों और विनिर्माताओं के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और नियम विनियम 2011 के प्रावधानों के तहत उचित कार्यवाही की जाएगी।

राष्ट्रीय प्रतियोगिता बेसबाल बालिका वर्ग में मोहगांव की निशु बंजारे ने 14 वर्ष में गोल्ड व 19 वर्ष में मान्या विभोर ने सिल्वर मेडल जीता

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चौदह वर्षों से लगातार प्रथम तीन स्थानों पर मोहगांव के खिलाड़ियों का कब्जा



कवर्धा (समय दर्शन)। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहगांव के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल लाकर अपने गांव एवं जिले के साथ ही छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन किया है। साफ्ट बाल, बेसबाल जैसे खेलों में अपना खेल कौशल दिखाकर गोल्ड मेडल व सिल्वर मेडल पर कब्जा किया।

व्यायाम शिक्षक दिनेश वर्गिस ने बताया कि पिछले 14 सालों से लगातार विद्यालय से बेसबाल एवं साफ्टबाल की खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाकर

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय प्रतियोगिता बेसबाल 14 वर्ष बालिका में निशु बंजारे ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं बेसबाल 19 वर्ष बालिका वर्ग में नांदेड़ महाराष्ट्र में

आयोजित प्रतियोगिता में कुमारी मान्या विभोर ने सिल्वर मेडल प्राप्त कर गांव एवं जिले के साथ छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है।


श्री वर्गिस ने बताया कि मोहगांव विद्यालय से साफ्टबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल जैसे खेलों में लगातार 14 वर्षों से विद्यालय से खिलाड़ी निकल रहे हैं, जिसमें साफ्ट बॉल बेसबॉल जैसे खेलों में स्वर्ण पदक रजत पदक एवं कांस्य पदक प्राप्त कर गांव एवं जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। खेल संसाधन के अभाव में भी इन खिलाड़ियों ने यह साबित किया है कि यदि आपके अंदर दृढ़ इच्छा और शक्ति है तो आप बिना साधन के किसी भी मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस उपलब्धि के लिए समस्त स्कूल स्टाफ एवं ग्रामवासियों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं।

प्राचार्य को हटाने की मांग के साथ छात्रों ने किया कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन



कवर्धा (समय दर्शन)। शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुल्लापुर बाजार के प्रभारी प्राचार्य श्रीमती मंजुला तिवारी को हटाने की मांग के साथ 12 वीं के लगभग 70 छात्र छात्राएं जिला मुख्यालय आकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहाँ मुख्य प्रवेश द्वार पर रोके जाने के बाद

संरक्षित बैगा जनजाति गुमशुदा व्यक्ति की बिजली करंट लगने से मृत्यु



कवर्धा (समय दर्शन)। थाना कुकदूर के अंतर्गत संरक्षित बैगा जनजाति के गुमशुदा व्यक्ति महासिंह बैगा (उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम सेंदूरखार) की मृत्यु जानवरों के शिकार के लिए बिछाए गए अवैध बिजली तार की चपेट में आ जाने के कारण करंट लगने से हो गई। पुलिस गुमशुदा व्यक्ति का शव मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले के ग्राम धुरकुटा से बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि गुमशुदागी की रिपोर्ट मृतक की पत्नी द्वारा 11 जनवरी 2025 को दर्ज कराई गई। रिपोर्ट के अनुसार, महासिंह बैगा 10 जनवरी 2025 की रात्रि करीब 8 बजे घर से बिना बताए कहीं चले गए थे। थाना प्रभारी निरीक्षक जे.एल. शांडिल्य के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने गुमशुदा व्यक्ति की तलाश के लिए उनके गांव और आसपास के जंगलों में सघन सर्च अभियान चलाया। 20 जनवरी को सर्चिंग के दौरान, गांव के पास के जंगल में लुक-छिप रहे दो संदिग्ध, संतराम बैगा और हीरालाल बैगा, मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए। उनसे गहन पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि 10 जनवरी की रात को महासिंह बैगा और 10 अन्य लोग जंगली जानवर का शिकार करने की योजना बनाकर जंगल गए थे। उन्होंने अवैध बिजली कनेक्शन के माध्यम से जानवरों का शिकार करने का प्रयास किया। इसी दौरान, महासिंह बैगा बिजली के तार की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना को छिपाने के उद्देश्य से, महासिंह बैगा के शव को जंगल के एक नाले में गाड़ दिया गया और साक्ष्य मिटाने के लिए उस स्थान पर एक मूत गाय का शव रख दिया गया। संदिहियों की निशानदेही पर टीम ने मध्य प्रदेश के बजाग थाना क्षेत्र (ग्राम धुरकुटा, जिला डिंडोरी) में घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहां गाड़ा हुआ शव बरामद किया गया, जिसे संदिहियों ने महासिंह बैगा का बताया। विधिसम्मत कार्रवाई के तहत शव का पंचनामा तैयार किया गया और मामला थाना बजाग (म.प्र.) को ट्रांसफर किया गया।

सरदार वल्लभ भाई भवन परिसर में लर्निंग लाइसेंस शिविर एवं प्रदूषण जांच शिविर आयोजित

कवर्धा (समय दर्शन)। पुलिस अधीक्षक धर्मेश सिंह के मार्गदर्शन में जिले में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और नागरिकों को सही नियत प्रदान करने के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। 'लर्निंग लाइसेंस शिविर' में कुल 90 लोगों ने अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाया। वहीं, 'प्रदूषण जांच शिविर' में लगभग 28 लोगों ने अपने वाहनों का प्रदूषण स्तर जांच कराई। शिविर में भाग लेने वाले नागरिकों ने इस पहल को सराहा और सड़क सुरक्षा को लेकर अपनी जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के अंतर्गत यातायात पुलिस कबीरधाम द्वारा सरदार वल्लभ भाई भवन परिसर में एक दिवसीय लर्निंग लाइसेंस और प्रदूषण जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें वाहनों के प्रदूषण के प्रभावों से अवगत कराना था। साथ ही, यह सुनिश्चित करना था कि आम नागरिकों को लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने और



अपने वाहनों की प्रदूषण जांच कराने में कोई कठिनाई न हो। शिविर के दौरान आसपास के स्थानीय नागरिकों का उत्साह देखने योग्य था। नागरिकों ने न केवल लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन किया, बल्कि अपने वाहनों के प्रदूषण स्तर को भी जांचवाया। इस तरह की पहल से सड़क सुरक्षा और पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाना एक सकात्मक कदम साबित हुआ है। इस आयोजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल, उप पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार चंद्रकार और यातायात प्रभारी प्रवीण खलखो भी मौजूद रहे। इसके साथ ही परिवहन विभाग से श्री सोनी और प्रदूषण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। यातायात विभाग और अन्य संबंधित विभागों ने इस प्रकार के आयोजनों को आगे भी जारी रखने का संकल्प लिया ताकि आने वाले दिनों में नागरिकों में सड़क सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के प्रति और अधिक जागरूकता फैले।

वन मंडल अधिकारी शशि कुमार ने नेशनल विजेता बॉडीबिल्डर सूरज को सम्मानित किया



कवर्धा (समय दर्शन)। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 12 जनवरी 2025 को आयोजित डीबी क्लासिक बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता (नेशनल) में ब्रांस मेडल जीतने वाले कबीरधाम जिले के बाडी बिल्डर सूरज राजपूत को वनमंडल अधिकारी शशि कुमार ने सम्मानित किया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत देश के विभिन्न राज्य से करीब 300 से 350 खिलाड़ी भाग लिए, जिसमें जूनियर बॉडीबिल्डिंग, सीनियर बॉडीबिल्डिंग, वूमन बॉडीबिल्डिंग और फिटनेस फिजिक्स का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में जिले के सूरज राजपूत ने ब्रांस मेडल जीतकर कबीरधाम व छ्छा का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के श्री सूरज राजपूत ने सीनियर वर्ग में भाग लिया। उन्होंने इस प्रतिस्पर्धा में (नेशनल) बॉडीबिल्डिंग में ब्रांस मेडल

चुनाव प्रचार एवं आमसभा, रैली, जुलूस में लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए लेनी होगी अनुमति



गरियाबंद (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हुई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक कुमार अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, तेज हार्न का उपयोग प्रतिबंधित होगा। सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र

अधिकतम 55 डेसीबल ही रखी जा सकेगी। अस्पताल, शैक्षणिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र के 100 मीटर के दायरे में एवं साइलेंट जॉन (मौन क्षेत्र) के 100 मीटर के दायरों में लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं, प्रचार एवं जुलूस में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरांत ही किया जा सकेगा। आमसभा, प्रचार, जुलूस के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जायेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति प्रदान करने के लिए एएसडीएम को अपने अपने अनुविभाग क्षेत्र का सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है। गरियाबंद अनुविभाग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र की अनुमति अनुविभागीय दंडाधिकारी गरियाबंद देंगे। इसी प्रकार छ्छा अनुविभाग की अनुमति छ्छा एएसडीएम, राजिम अनुविभाग की अनुमति राजिम एएसडीएम, मैंनपुर अनुविभाग की अनुमति मैंनपुर एएसडीएम एवं देवभोग अनुविभाग की अनुमति देवभोग एएसडीएम प्रदान करेंगे।

